Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

भारत सरकार के पत्रांक 11/1082/क्लोज प्रथम स्टेज/यू0पी0/2013/567 दिनांक 06.11.2017 के अनुपालन में अतिरिक्त सूचना

अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर ने अपने पत्रांक 110/27–1 दिनांक 16.09.2019 द्वारा यह अवगत कराया कि सेक्शन अधिकारी, तेलियानी द्वारा दिनांक 11.09.2020 को सूचित किया गया कि गस्त के दौरान देखा गया गया कि फतेहपुर से जोनिहा मार्ग के किमी0 14 से 15 के मध्य बांयी पटरी पर पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है। कार्य कर रहे श्रमिकों से पता चला कि श्री विनोद कुमार पटेल जी द्वारा रिटेल आउटलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। तथा उनके दूरभाष पर उनसे वर्ता की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त मार्ग (फतेहपुर–जोनिहा मार्ग) **उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग–2, संख्या 3278/14–2–43/86 लखनऊ दिनांक अगस्त 07, 1986 द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित है।** तथा उसे किसी भी प्रजाति का कोई भी वृक्ष अवस्थित नही है। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 888/27–4 दिनांक 18.09.2019 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर को यह अवगत कराया गया कि उपरोक्त मार्ग में रिटेल आउट लेट की स्थापना हेतु इस कार्यालय द्वारा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। जिसके लिये आप नामित डीलर व पोट्रोलियम कम्पनी का पता कर उसे नोटिस देते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। (संलग्नक–1) तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1854/27–4 दिनांक 09.12.2019, 2050/27–4 दिनांक 27.12.2019 (संलग्नक–2 व 3) द्वारा नामित डीलर व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु तथा इस कार्यालय के पत्रांक 2266/27–4 दिनांक 15.01.2020 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर को भी सूचना दी गयी। (संलग्नक–4)

इस कार्यालय के पत्रांक 1854/27–4 दिनांक 09.12.2019 के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध फतेहपुर रेंज के अन्तर्गत एच–2 केस संख्या **48/2019–20** दिनांक **20.01.2020** दर्ज किया गया। (संलग्नक–5)

नामित डीलर श्री अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी– असवार तारापुर, तहसील व जनपद फतेहपुर व चीफ रिजनल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 ने अपना अपराध स्वीकार किया तथा यह अवगत कराया कि प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में देरी की वजह से भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव उपब्ध नही कराया जा पा रहा है, प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अब मिल गया है, एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जायेगा, तथा जारी किये गये केस का प्रतिकर धनराशि रु0 7000.00 (रुपया सात हजार मात्र) जमा कर दिया गया है। (संलग्नक–6) केस प्रशमित होने का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–7) तथा इस कार्यालय के पत्रांक 646/27–4 दिनांक 25.08.2020 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। (संलग्नक – 8)

प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संख्या – **FP/UP/Approach/48833/2020** इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रकरण में भारत भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन संख्या F.NO 11-42/2017 FC Date 29-01-2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत याचक विभाग से नियमानुसार दण्ड स्वरुप प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–20 के उल्लंघन कि लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन F.NO 11-42/2017 FC Date 29-01-2018 के क्रम में दण्डात्मक एन.पी.वी. का आकलन संलग्न कर दिया गया है।(संलग्नक – 9)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, फतेहपुर

पत्रांक –888 /27–4 फतेहपुर, दिनांक – 18/09/2019

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :– फतेहपुर से जोनिहा मार्ग के किमी0 संख्या 15–16 के बांयी पटरी पर पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 110/27–1 दिनांक 16.09.2019।

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री क्षत्रपाल सिहं, वन दरोगा सेक्सन अधिकारी, तेलियानी द्वारा दिनांक 11.09.2019 को सूचित किया गया है कि गस्त के दौरान देखा कि फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी0 संख्या–15–16 के बांयी पटरी पर पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है, तथा स्थापना वाले गाटा संख्या के सामने की सडक पटरी संरक्षित वन घोषित है।

उक्त मार्ग पर पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना हेतु वन विभाग से कोई भी आनापत्ति प्रमाण पत्र नही जारी किया गया है, और आपके द्वारा पूर्व में मौखिक रुप से प्रकरण को संज्ञान में लाने पर तत्काल काम को रुकवाते हुये सम्बन्धित डीलर को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थल में पेट्रालियम आउटलेट के निर्माण का कार्य तत्काल रुकवा कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग
फतेहपुर

कार्यालय पता – प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी0आई0पी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर – 212601
दूरभाष /फैक्स – 05180 – 224493, ई – मेल – dfofatehpur@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 1254/27–4 फतेहपुर, दिनांक – 9 /12/2019

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भूतल, 88–ए गोवर्धन पुरवा, साकेत नगर
हमीरपुर रोड कानपुर।

विषय :– बिना भारत सरकार की अनुमति के संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर का पत्रांक110/27–1 दिनांक 16.09.2019, 113/27–1 दिनांक 16.09.2019 एवं 263/27–1 दिनांक 09.12.2019।

उपरोक्त विषयांकित के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा नामित डीलर श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी –ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की ग्राम–असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 रकबा 0.1620 हे0 पर रिटेल आउटलेट के स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

उक्त निर्माणाधीन नये रिटेल आउटलेट की स्थापना ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 के सामने की पक्की सड़क के किनारे की पटरी **उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग – 2 संख्या 3278/14–2–43/86 लखनऊ दिनांक अगस्त 07, 1986 द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित है।**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। किन्तु आपके द्वारा बिना भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये उक्त रिटेल आउटलेट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लघंन एवं दण्डनीय अपराध है। जिसके लिये नामित डीलर को क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर के उपरोक्त पत्र दिनांक 16.09.2019 द्वारा नोटिस जारी की गई किन्तु नामित डीलर द्वारा नोटिस का संज्ञान न लेते हुये न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुये और न ही कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार से संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध **वन संरक्षण अधिनियम**, 1980 के उल्लघन के लिये विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रतिलिपि 1854 / समदिनांक –

1. प्रतिलिपि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (आयुध अनुभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर को उनके उपरोक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि उप महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 17 जमशेदजी टाटा रोड, मुम्बई, पिन कोड – 400020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी –ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(रजिस्टर्ड)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 2050 / 27–4   फतेहपुर ,   दिनांक – 27 / 12 / 2019

सेवा में,

उप महा प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भूतल, 88–ए गोवर्धन पुरवा, साकेत नगर
हमीरपुर रोड कानपुर।

विषय :– बिना भारत सरकार की अनुमति के संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर का पत्रांक110 / 27–1 दिनांक 16.09.2019, 113 / 27–1 दिनांक 16.09.2019 एवं 263 / 27–1 दिनांक 09.12.2019, इस कार्यालय का पत्रांक 1854 / 27–4 दिनांक 09.12.2019।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि आपके द्वारा नामित डीलर श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी –ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की ग्राम– असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 रकबा 0.1620 हे0 पर रिटेल आउलेट के स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

उक्त निर्माणाधीन नये रिटेल आउटलेट की स्थापना ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 के सामने की पक्की सड़क के किनारे की पटरी **उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग – 2 संख्या 3278 / 14–2–43 / 86 लखनऊ दिनांक अगस्त 07, 1986 द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित है।**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। किन्तु आपके द्वारा बिना भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये उक्त रिटेल आउटलेट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम–1980 को उल्लघंन एवं दण्डनीय अपराध है। जिसके लिये नामित डीलर को क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर के उपरोक्त पत्र दिनांक 16.09.2019 द्वारा नोटिस जारी की गई किन्तु नामित डीलर द्वारा नोटिस का संज्ञान न लेते हुये न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुये और न ही कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया तथा आपके द्वारा भी आज दिनांक तक इस कार्यालय के पत्रांक 1854 / 09.12.2019 का कोई संज्ञान नही लिया गया ।

अतः आपको अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार से संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के उल्लघन के लिये विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रतिलिपि 2050 / समदिनांक –

1. प्रतिलिपि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (आयुध अनुभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी –ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग

कार्यालय पता – प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी0आई0पी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर – 212601
दूरभाष / फैक्स – 05180 – 224493, ई – मेल – dfofatehpur@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक -2266 /27-4   फतेहपुर,   दिनांक - 13/01/2020

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर (आयुध अनुभाग)

विषय :- बिना भारत सरकार की अनुमति के संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर का पत्रांक 263/27-1 दिनांक 09.12.2019, इस कार्यालय का पत्रांक 1854/27-4 दिनांक 09.12.2019 एवं 2050/ 27-4 दिनांक 27.12.2019 तथा हिन्दुस्तान पेट्रालियम कॉर्पोरेशन लि0 का पत्रांक -KRR/MIS/Retail दिनांक 03.01.2020 जो इस कार्यालय को 07.01.2019 को प्राप्त।

महोदय,

हिन्दुस्तान पेट्रालियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी -ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद के पक्ष में नये रिटेल आउटलेट की स्थापना का उसका संचालन किया जा रहा है।

इस कार्यालय द्वारा नामित डीलर तथा कम्पनी को पूर्व में उपरोक्त पत्रों द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा नामित डीलर श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी -ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की ग्राम- असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 रकबा 0.1620 हे0 पर रिटेल आउलेट के स्थापित/संचालित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

उक्त निर्माणाधीन नये रिटेल आउटलेट की स्थापना ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 के सामने की पक्की सड़क के किनारे की पटरी **उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग - 2 संख्या 3278/14-2-43/86 लखनऊ दिनांक अगस्त 07, 1986 द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित है।**

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। किन्तु नामित डीलर द्वारा बिना भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये उक्त रिटेल आउटलेट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लघंन एवं दण्डनीय अपराध है। जिसके लिये नामित डीलर को क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र 16.09.2019 द्वारा सूचित किया था, किन्तु नामित डीलर द्वारा इस पत्र का संज्ञान नही लिया गया। इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 09.12.2019 एवं 27.12.2019 जो उप महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लि0 को लिखे गयें है तथा आपको पृष्ठांकित हैं के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया था। चीफ रीजनल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा यह अवगत कराया कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जिलाधिकारी, फतेहपुर से दिनांक 08.01.2019 को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त ही रिटेल आउटलेट का निर्माण/संचालन किया जा रहा है।

कार्यालय पता - प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी0आई0पी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर - 212601
दूरभाष /फैक्स - 05180 - 224493, ई - मेल - dfofatehpur@gmail.com

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से भी कम्पनी को निर्देशित करने की कृपा करें कि कम्पनी भारत सरकार से संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। ताकि संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जा सके। यदि कम्पनी द्वारा भारत सरकार से संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति नही प्राप्त की जाती तो उक्त रिटेल के सम्मुख पड़ने वाली संरक्षित वन भूमि वाली सड़क पटरी के गैर वानिकी प्रयोग का अधिकार कम्पनी को नही होगा। संरक्षित वन भूमि वाली सडक पटरी के अनाधिकृत गैर वानिकी प्रयोग करने पर कम्पनी तथा नामित डीलर के विरुद्ध भारत सरकार से बिना अनुमति प्राप्त किये संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के उल्लघन के लिये विधिक कार्यवाही करना बाध्यकारी होगा।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रतिलिपि / समदिनांक –

1. प्रतिलिपि चीफ, रीजनल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, कॉर्पोरेशन लि0 भू–तल, 88ए गोवर्धन पुरवा, साकेत नगर, हमीरपुर रोड कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी –ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एंव वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

445/19-20 ता 28-1-20

वन विभाग उत्तर प्रदेश .... परिधि (सर्किल) प्रयाग राज .... खण्ड (डिवीजन) फतेहपुर

अन्य अपराध: भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33 प्रसूचना सं0 .... दिनांक 20.1.2020 वन परिक्षेत्र फतेहपुर

R.C.No-48/2019-2020

1. अपराधी का नाम/पिता का नाम और मूल निवास स्थान (1) श्रीमती अनुराधा देवी w/o विनोद कुमार पटेल नि० ग्राम-तारापुर मजरे अस्थवार तारापुर पो० तारापुर जिला-फतेहपुर। (2) उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ब्रतल 88 ए गोवर्धन पुरवा, साकेत नगर हमीरपुर रोड कानपुर नगर।

2. साक्षी का नाम श्री विक्रम सिंह उप क्षेत्रीय वन अधिकारी पुत्र श्री लक्ष्मी नि० आर० के० पुरम कालोनी कलक्टरगंज थाना- कोतवाली फतेहपुर जिला-फतेहपुर।

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक फतेहपुर जोनिहां मार्ग कि०मी० 15-16 के मध्य बायीं पटरी पर संरक्षित वन भूमि को मिट्टी द्वारा पाटकर मार्ग बनाना। DC No. 121/19-20

250 2/22-1-/ता 28-5-20
फतेहपुर

4. मूल्य केस की जाँच जारी है

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

महोदय,
प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
फतेहपुर

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन जाँच जारी है।

महोदय अभियुक्तों को इसके पूर्व रास्ता बनाने हेतु मना किया गया था

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख गस्त आज दिनांक 20.1.2020 को फतेहपुर जोनिहां मार्ग गस्त के दौरान देखा की कि०मी० 15-16 के मध्य बायीं पटरी पर भारत पेट्रोलियम पम्प की स्थापना की गयी है जिसमे संरक्षित भूमि पर आने जाने का रास्ता मिट्टी की पुराई कर बना लिया गया मौके पर पेट्रोल पम्प मालिक नहीं थे अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
अतः H2 केस दर्ज कर प्रथम रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

TC

भवदीय
20.1.2020
(राजेश कुमार राई)
वन दरोगा प्रभारी तारापुर

प्र० नि०
फतेहपुर
23.1.20

एच-2 केस जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम/दिनांक सहित

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

12 2/20

Department, ~~प्रभागसाल~~

उप प्रभागीय वनाधिकारी
Circle, Uttar Pradesh
उप वन प्रभाग खागा
सा०व्या० वन प्रभाग-फतेहपुर

R·C·No-48/2019-20

076078

फतेहपुर FOREST DIVISION 20

...from श्रीमती आराधना पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल निवासी ग्राम-तारापुर-जि०-फतेहपुर

...of Rupees (सात हजार रु० मात्र)

...unt of फतेहपुर ... के ... पार संरक्षित वन भूमि की ... कर मार्ग बनाने का प्रशमन शुल्क

17-2-2020

क्षेत्रीय वन अधिकारी
फतेहपुर

Forest-5.7.2017–1000 Books (D.T.P./Offset).

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

केस प्रशमित होने का प्रमाण पत्र

वन संरक्षण अधिनियम–1980 की अज्ञानता के कारण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर (उ0प्र0) में रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बिना वृक्ष पातन के प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे0 का गैर वानिकी प्रयोग कर वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया था। प्रकरण के संज्ञान में आने के उपरान्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहपुर ने प्रयोक्ता अभिकरण पर कार्यवाही करते हुये एच–2 केस संख्या 48/2019–20 दर्ज किया। तथा प्रयोक्ता अभिकरण से प्रतिकर के रुप में रु0 7000.00 (रुपया सात हजार मात्र) की धनराशि वसूल कर केस को प्रशमित कर दिया गया है। तथा वन संरक्षक अधिनियम –1980 के उल्लंघन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक –29.01.2018 के अनुसार दण्डात्माक एन.पी.वी की गणना तथा प्रयोक्ता अभिकर का दण्डात्मक एन.पी.वी के भुगतान करने वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 646/27-4 फतेहपुर, दिनांक – 25/8/2020

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :– बिना भारत सरकार की अनुमति के संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्र संख्या 888/27–4 दिनांक 18.09.2019 एवं 1048/27–4 दिनांक 28.09.2019।

इस कार्यालय के उपरोक्त सदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा श्री मती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी–ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की ग्राम असवार–तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 रकबा 0.1620 हे0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आपके द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि उक्त निमार्णाधीन रिटेल आउटलेट के सामने की सड़की पटरी उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग–2 संख्या 3278/14–2–43/86 लखनऊ दिनांक अगस्त 07, 1986 द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग वर्जित है। किन्तु द्वारा श्री मती अनुराधा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार पटेल, निवासी–ग्राम धरमपुर मजरे असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की ग्राम असवार–तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर की गाटा संख्या 1502 रकबा 0.1620 हे0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना का कार्य किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन हैं। आज दिनांक तक प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार से संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है ।

आप स्पष्ट करें कि आपके द्वारा उपरोक्त नामित डीलर व कम्पनी के विरुद्ध अभी तक भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध न कराने पर भी आपके द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नही की जा रही है? जिससे कहीं न कहीं आपकी संलिप्तता भी प्रतीत होती है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आपको इस संदर्भ में कुछ भी नही कहना है और आपके विरुद्ध अनुशानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Proposal No. : FP/UP/Approach/48833/2020

दण्डात्मक N.P.V की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपॅरेशन लि0 द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील व जनपद – फतेहपुर (उ0प्र0) में रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बिना वृक्ष पातन के प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे0 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके फलस्वारुप भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक **N.P.V** की गणना निम्नानुसार है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	:–	0.08047 हे0
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व	:–	0.3
3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर	:–	रु0 6.26 लाख प्रति हे0
4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध **N.P.V**	:–	**0.08047 X 626000**
	=	**50374.22** अर्थात् **50374.00**
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनवरी 2019 में बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग कर उल्लंघन किया गया है, इसलिये दण्डात्माक **N.P.V**	:–	**0.08047 X 626000X2**
	=	**100748.44** अर्थात् **100748.00**
6. दण्डात्माक **N.P.V** का 12% वार्षिक ब्याज	:–	**100748.00 X 12 X 2 / 100**
	=	**24179.52** अर्थात् **24180.00**
7. कुल दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि	:–	**100748.00 + 24180.00**
	=	**124928.00**

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपॅरेशन लि0 भारत सरकार का एवं उपक्रम है इसलिये कुल दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि का 20 प्रतिशत ही धनराशि देय होगी।

अतः देय दण्डात्मक **N.P.V** की धनराशि	:–	**124928.00 X 20 / 100**
	=	**24985.60** अर्थात् **24986.00**

(रुपया चौबिस हजार नौ सौ छियासी मात्र)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर